कार्यालय प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम
पंजीकृत कार्यालय- बिजली नगर कालोनी निष्ठा परिसर
गोविंदपुरा भोपाल 462023
CIN&U40109MP2002SGC015119
फोन आफिस 0755-2602033-34 फैक्स - 2589821
Website : https://portal.mpcz.in
मानव संसाधन विभाग (ISO 9001:2008 प्रमाणित)

प्रकाश एवं विकास

ISO 9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

क्रमांक/प्र.सं./म.क्षे./स्था./उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)- I / 3598-98 भोपाल, दिनांक : 31/07/2024

आदेश

कंपनी अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित/संविदा) द्वारा स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये दिनांक 01.08.2024 से 10.08.2024 तक कंपनी द्वारा उपलब्ध करायें गये ऑन लाईन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

महाप्रबंधक तथा समकक्ष अधिकारी एवं उनसे उच्च पद के अधिकारी स्थानांतरण हेतु ऑन लाईन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत नही कर सकेगें एवं ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी एक ही स्थान पर पदस्थापना की अवधि 02 वर्ष से कम है उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

1. कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित/संविदा) को स्वयं के व्यय पर निम्न कारणों से स्थानांतरण हेतु ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाती है :-
   - 1.1 स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य की गंभीर बीमारी।
   - 1.2 पति/पत्नी के शासकीय सेवा में अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होने पर/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत होने पर/संविदा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत होने पर।
   - 1.3 आपसी स्थानांतरण
   - 1.4 अन्य कारण।
2. स्थानांतरण हेतु केवल ऑन लाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगे। कार्मिक एक बार में एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगें। अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत (सबमिट) आवेदन पर कोई संशोधन नही कर सकेगें। किसी भी स्थिति में ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।
3. कार्मिकों द्वारा स्थानांतरण हेतु अपने आवेदन में पदस्थापना हेतु तीन स्थानों का नाम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना होगा। किसी कार्यालय विशेष के लिये आवेदन नही कर सकेंगे।
4. जहाँ तक प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव हो , पति एवं पत्नी को एक ही स्थान मे उनके स्वयं के व्यय पर पदस्थ करने का प्रयास किया जाएगा।
5. आपसी स्थानांतरण पर दोनों कार्मिकों को ऑन लाईन पोर्टल पर पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दोनों के आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अमान्य किया जावेगा।
6. कंपनी द्वारा जारी स्थानांतरण नीति परिपत्र क्रमांक 15329-30 दिनांक 16.02.2015 में उल्लेखित पदस्थ अवधि पूर्ण होने के अनुसार कार्मिक स्वयं अपना स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
7. स्थानांतरण हेतु उपरोक्त दी गयी ऑन लाईन सुविधा के अतिरिक्त कोई भी कार्मिक अन्य माध्यम से आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा और न ही स्थानांतरण हेतु किसी अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सकेगा। निर्देश के बावजूद भी यदि कोई कार्मिक को अन्य माध्यम से स्थानांतरण हेतु प्रयासरत पाया जाता है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। समस्त मैदानी एंव कार्पोरेट कार्यालय में पदस्थ अधिकारी उनके अधीनस्थ पदस्थ समस्त कार्मिकों को इस परिपत्र के संबंध में अवगत करायेंगे।
8. वांछित स्थान पर पद रिक्त होने एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही की जावेंगी।
9. मात्र ऑन लाईन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत कर देने पर स्थानांतरण किया जाना कंपनी हेतु बंधनकारी नहीं है। कंपनी आवेदन को मान्य अथवा अमान्य कर सकती है तथा कंपनी कभी भी इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होगी एवं कंपनी का निर्णय अंतिम होगा।
10. स्वयं के आवेदन एवं स्वयं के व्यय पर किये गये स्थानांतरण पर कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं स्थानांतरण पर मिलने वाले अन्य भत्तो की पात्रता नहीं होगी।

निरंतर-2

11. ऑन लाईन आवेदन में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी की सत्यता की पूर्ण जिम्मेदारी कार्मिक की होगी, एवं गलत जानकारी पायें जाने पर कार्मिक के आवेदन को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

12. ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया **(SOP)** सलंग्र है।

(प्रबंध संचालक द्वारा आदेशित एवं अनुमोदित)

आदेशानुसार

-sd-

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.)

क्रमांक/प्र.सं./म.क्षे./स्था./उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)- I / 3599 भोपाल, दिनांक : 31/07/2024

1. निदेशक (पी.डी.टी.सी./तकनीकी/वाणिज्य) कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
2. मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य/आई.टी./स्काडा/क्रय/एस.एम.एण्ड.ओ./आर.ओ.सी./आर.ए.), कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
4. मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे./ग्वा.क्षे.), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमि. भोपाल/ग्वालियर।
5. उप मुख्य महाप्रबंधक (शहरी एवं ग्रामीण परियोजना/क्यू.सी.एम.एम./एम.एण्ड.बी.एम./कार्य एवं योजना/गै.प.ऊ./एच.टी.ई-बिलिंग सेल/सतर्कता/सिविल), कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमि. भोपाल।
6. महाप्रबंधक (मा.सं.-I/मा.सं.-II), कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।
7. महाप्रबंधक शहर/(सं./सं.), वृत्त म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. ....।
8. महाप्रबंधक (सू.प्रौ.) कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. - आदेशानुसार पोर्टल में आवश्यक संशोधन कर समय-सीमा में प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करेगें।
9. वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी, कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
10. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-(I/II/IV/V/VI/भर्ती), कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
11. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.), कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे./ग्वा.क्षे.), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमि. ....।
12. प्रबंधक (मा.सं.)-(स्थापना/पी.जी.आर.), कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
13. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)/प्रबंधक (मा.सं.), कार्या. मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे./ग्वा.क्षे.), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमि. ....।
14. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)/प्रबंधक (मा.सं.), कार्या.महाप्रबंधक शहर/(सं./सं.), वृत्त म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. ....।
15. कनिष्ठ शीघ्रलेखक, प्रबंध संचालक (म.क्षे.), कार्यालय प्रबंध संचालक (मध्य क्षेत्र), भोपाल।
16. कनिष्ठ शीघ्रलेखक, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.), कार्या. प्रबंध संचालक (मध्य क्षेत्र), भोपाल।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.)